

सोशल

मीडिया

सेल

आजमगढ़

पत्र सं०- 251/21

दिनांक- 29 मई 2021

प्रेस-विज्ञप्ति

थाना-मुबारकपुर

अपहरण कर दुष्कर्म करने वाला दूसरा अभियुक्त गिरफ्तार

दिनांक 19.05.2021 को आवेदक द्वारा प्रार्थना पत्र दिया गया कि आवेदक की पुत्री दिनांक 17/18.05.2021 को समय करीब रात्रि 12.00 बजे से ही लापती है। जिसके आधार पर थाना स्थानीय पर अभियोग पंजीकृत कर विवेचना प्रारम्भ की गयी। जिसमें एक अभियुक्त सोनू चौहान पुत्र सतीश चौहान निवासी लाड़ो पो0 बनकट थाना मुबारकपुर जनपद आजमगढ़ दिनांक 27.05.2021 को गिरफ्तार कर जेल भेजा गया है। इसी क्रम में

पुलिस अधीक्षक आजमगढ़ श्री सुधीर कुमार सिंह द्वारा चलाये जा रहे अभियान अपराध नियंत्रण व अपराधियों की गिरफ्तारी के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक नगर श्री पंकज कुमार पाण्डेय तथा क्षेत्राधिकारी सदर श्री सिद्धार्थ तोमर के कुशल पर्वेक्षण में तथा प्रभारी निरीक्षक मुबारकपुर श्री अखिलेश कुमार मिश्र के नेतृत्व में विवेचना से गुमशुदा लड़की कि बरामदगी से ज्ञात हुआ कि घटना कि रात को आवेदक की पुत्री शौच करने बाहर गयी उसी बीच गांव के ही 1. यशवंत पुत्र केवल चौहान 2. सोनू पुत्र सतीश चौहान निवासीगण लाड़ो पो0 बनकट थाना मुबारकपुर जनपद आजमगढ़ द्वारा वादी के पुत्री को अगवा कर 7 दिनो तक कमरे के अन्दर कैद करके दुष्कर्म किये। पीड़िता के बयान के आधार पर अभियोग में धारा 366 , 376(D) भादवि0 व 3 /4 पाक्सो एक्ट की बढोत्तरी की गयी। उक्त अभियोग का दूसरा वांछित अभियुक्त यशवंत चौहान पुत्र राम केवल चौहान निवासी लाड़ो पो0 बनकट थाना मुबारकपुर जनपद आजमगढ़ को मुखबिर की सूचना पर उ0नि0 मधुसुदन चौरसिया चौकी प्रभारी बनकट मय हमराह द्वारा समय 09.35 बजे गुलउर बाजार से गिरफ्तार कर उसके अपराध से बोध कराते हुए चलान माननीय न्यायालय किया जा रहा है।

पंजीकृत अभियोग

मु0अ0सं०- 109/2021 धारा 363,366,376D भा0द0वि0 व 3/4 पास्को एक्ट थाना मुबारकपुर जनपद आजमगढ़।

नाम पता गिरफ्तार अभियुक्त

यशवंत चौहान पुत्र राम केवल चौहान निवासी लाड़ो पो0 बनकट थाना मुबारकपुर जनपद आजमगढ़।

गिरफ्तारी करने वाली टीम का विवरण

उ0नि0 मधुसुदन चौरसिया चौकी प्रभारी बनकट मय हमराह थाना मुबारकपुर जनपद आजमगढ़